/

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य-प्रदेश

क्रमांक 948 /11-भू-प्र. /2024/319757 ग्वालियर दिनांक 29/10/2024

प्रति,

कलेक्टर (भू-अभिलेख)
जिला- समस्त (म.प्र.)

विषय- भू लेख पोर्टल पर अनुपलब्ध, त्रुटिपूर्ण नक्शों तथा शेप फाइल अपलोड करने बाबत ।

राजस्व महा अभियान 2.0 के दौरान भूलेख पोर्टल पर अनुपलब्ध/ त्रुटिपूर्ण अपलोड नक्शों तथा शेप फाइल अपलोड करने के संबंध में जिला कार्यालय द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुए, उक्त प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण से यह देखने में आया है कि बिना समुचित परीक्षण/सत्यापन के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं । जिससे की जाने वाली कार्यवाही में विलम्ब एवं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। भविष्य में त्रुटिपूर्ण नक्शों तथा शेप फाइल अपलोड करने का प्रस्ताव भेजने से पूर्व निम्न दिशानिर्देश का ध्यान रखा जाये –

1. सर्वप्रथम आपके जिले के भू लेख पोर्टल पर उपलब्ध नक्शों के सत्यापन की कार्यवाही सम्बंधित पटवारियों से पूर्ण करा लिया जावे , नक्शों में विसंगति पाए जाने की स्थिति में प्रस्ताव तैयार किया जाये, उपरोक्त कार्यवाही कराये जाने के 15 दिवस में सबंधित राजस्व अधिकारी /कर्मचारी से प्रमाणीकरण लिया जाये कि उनके प्रभार के कितने ग्रामों के नक़्शे पोर्टल पर सही अपलोड हैं तथा कितने सही अपलोड नहीं है ।

2. प्रमाणीकरण के पश्चात सही नक़्शे अपलोड न होने की सूची का परीक्षण किया जाये। इसमें त्रुटियों जैसे ग्राम का नक्शा आपस में बदल जाना, नक्शा अपलोड न होना, कुछ नक्शा शीट अपलोड न होना एवं अन्य त्रुटियों का विभाजन कर लिया जाये तत्पश्चात अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध शेप फाइल से मिलान/सत्यापन कर लें। अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय में शेप फाइल उपलब्ध न होने की स्थिति में MPSEDC से ईमेल के माध्यम से प्राप्त कर शेप फाइल से मिलान/सत्यापन की कार्यवाही की जावे। शेप फ़ाइल का सत्यापन /मिलान करने के उपरांत ही स्पष्ट अभिमत के साथ सलग्न प्रारूप में जानकारी भर कर सम्पूर्ण जिले का एक प्रस्ताव , त्रुटिवार विवरण के साथ सलग्न प्रारूप में इस कार्यालय को प्रेषित किये जावें । सत्यापन के दौरान सही पायी गयी georefrenced शेप फाइल प्रस्ताव के साथ अपलोड हेतु अवश्य ईमेल में सलग्न कर प्रेषित की जावे ।

Scanned with OKEN Scanner

3. यदि ग्राम की सही शेप फाइल अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय एवं MPSEDC में अनुपलब्ध होती है ,तो केवल उसी स्थिति में ही नक्शा शीट डिजिटाईजेशन का प्रस्ताव अलग से भेजा जा सकेगा तथा इस कार्यालय की बिना अनुमति के जिले द्वारा सीधे MPSEDC से सम्पर्क कर नक्शा डिजिटाईजेशन कार्य नहीं कराया जावेगा। डिजिटाईजेशन हेतु नक्शा पूर्व में स्कैन (digitized) क्यों नहीं कराया गया था , का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किये जाए।

4. उपरोक्त सभी प्रस्ताव जिला कलेक्टर के माध्यम से इस कार्यालय को भेजे जावें ।

(आयुक्त महोदय से अनुमोदित)

अपर आयुक्त
भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 948/11-भू-प्र. /2024/319757 ग्वालियर ,दिनांक 29/10/2024

प्रतिलिपि-

1-प्रबंध निदेशक MPSEDC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु , जिलों को उपलब्ध शेप फ़ाइल मांगे जाने पर प्रदाय करने का कष्ट करें ।

2- क्षेत्रीय उपायुक्त समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, प्रस्तावों का परीक्षण नवीन निर्देशों के क्रम में किया जाना सुनिश्चित करें ।

3- श्री दिगपाल सिंह कुशवाह सिस्टम एनालिस्ट भोपाल की ओर लेख है कि संबंधित जिलों के प्रस्तावों पर जिलों से समन्वय कर .shp फ़ाइल web gis पोर्टल पर अपलोड करवाए जाने की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें ।

4- अधीक्षक भू अभिलेख समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु , पूर्व में भेजे गये प्रस्तावों को नवीन निर्देशों के अनुसार भेजा जाना सुनिश्चित करें ।

अपर आयुक्त
भू-अभिलेख मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र

स.क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	LGD CODE	त्रुटी का विवरण	क्या पूर्व में नक्शा स्कैन करवाया गया है अथवा नहीं तो कारण	यदि हाँ ,तो क्या ग्राम की .shp फाइल प्राप्त कर मिलान कर लिया गया है।	यदि हाँ तो क्या ग्राम की सही .shp फाइल मेल के साथ अपलोड हेतु उपलब्ध करायी गयी है।	प्रस्तावित कार्यवाही जो किया जाना है
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Scanned with OKEN Scanner